

**DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF JOINT DIRECTOR (ADMIN/RR)
ROOM NO. 311-A, VARUNALAYA PHASE-II
KAROL BAGH, NEW DELHI-110005**

No. F.1 (15)/DJB/Jt. Dir. (Admn.)/RR/2026/D-125

Dated: - 19.08.2026

Subject: - Regarding copy of Gazette Notification of Recruitment Rules for the post of Chemist in Delhi Jal Board.

Sir,

Please find enclosed herewith the copy of Gazette Notification dated 05.08.2026 of Recruitment Rules for the post of Chemist for necessary action and record.

Encl: - As above


(NARESH KUMAR)
JOINT DIRECTOR (ADMIN)/RR

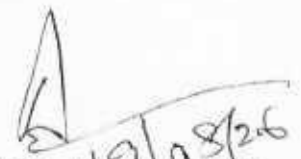
DD (B): Along with copy of above said notification for the post of Chemist for record and necessary action.

Copy to:

- 1 Director (A&P): for kind information, please.
- ✓ DD (IT): Along with copy of above said notification for the post of Chemist for uploading on website of Delhi Jal Board.

Dy. Director (IT)
Delhi Jal Board, GNCTD

Dy. No. 1472 dt. 20/08/26


JOINT DIRECTOR (ADMIN)/RR

Pg 1

21/8/2026

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07082026-275269
SG-DL-E-07082026-275269

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2026/श्रावण 14, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 151
No. 221]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2026/SHRAVAN 14, 1948	[N. C. T. D. No. 151

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 अगस्त, 2026

फा0सं0 16 (507)/शह0विका0/डब्ल्यू/2025/021341550/587.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 26/04/2016 की अधिसूचना संख्या 16(507)/शह0विका0/डब्ल्यू/2015/596 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, दिल्ली जल बोर्ड में 'कैमिस्ट' के पद की भर्ती प्रवृत्ति को विनियमित करने हेतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए निम्नलिखित भर्ती विनियमनों को एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (I) इन विनियमनों को दिल्ली जल बोर्ड 'कैमिस्ट' भर्ती विनियमन, 2025 कहा जाए।

(II) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमनों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :- उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यता :- वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह का अनुबंध किया है; अथवा
 - (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह का अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पदों में से किसी पर भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस विनियमन के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. उपबंध शिथिल करने की शक्ति :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. बचाव :- इन विनियमनों में केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	कैमिस्ट
2.	पदों की संख्या	:	20* (2025) परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	समूह-‘ख’
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रुपये 47600-151100/-)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा

11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	पदोन्नति : ग्रेड में दो (02) वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रुपये 44900-142400/-) में सहायक कैमिस्ट तथा उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। टीप-1 :- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है।	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) : 1. सदस्य (प्रशासन)- अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)- सदस्य 3. निदेशक (उपचार गुणवत्ता एवं नियंत्रण) - सदस्य
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पुनीत कुमार पटेल, अतिरिक्त सचिव (शह0 विकास)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th August, 2026

F.No. 16(507)/UD/W/2025/021341550/587.— The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act, No. 4 of 1998) in suppression of Notification No. 16 (507)/UD/W/2015/596 dated 26/04/2016 published in Official Gazette except as respects things done or omitted to be done before such supersession for regulating the method of recruitment to the post of Chemist in the Delhi Water Board, are hereby published, namely: -

- Short title and commencement:** - (I) These regulations may be called the Delhi Jal Board 'Chemist' Recruitment Regulations, 2025.
(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- Number of posts, classification and level in the Pay matrix:** The number of said posts, its classification and Level in the Pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age limit and other qualifications:** - The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification:** — No person;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.

5. **Power to relax the provisions:** - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving:** - Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Class and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the Post	CHEMIST
2.	Number of post.	20*(2025) subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	Category 'B'
4.	Level in the pay matrix.	Level-8 in the Pay Matrix (RS.47600-151100).
5.	Whether Selection or non- Selection post.	Selection
6.	Age limit for direct recruits.	Not applicable
7.	Educational & other qualification required for direct recruits.	Not applicable
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable
9.	Period of probation, if any.	Not applicable
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Promotion
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	Promotion: - Assistant Chemist in pay matrix level-07 (Rs. 44900- 142400) with 2 years regular service in the grade and undergone one week training from DJB training institute. Note 1:- where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	CATEGORY 'B' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE (FOR CONSIDERING PROMOTION);

		1. MEMBER (ADMIN) – CHAIRMAN 2. DIRECTOR (A&P) – MEMBER 3. DIRECTOR (TREATMENT QUALITY & CONTROL) - MEMBER
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi.
PUNEET KUMAR PATEL, Addl. Secy., UD